



## समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

१५२

क्रमांक-४५८/२०१८/अवाल/भू-पुनरीक्षण याचिका क्रमांक...../२०१६

श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान आत्मज श्री के.एस. चौहान,  
आयु-५८ वर्ष, निवासी-एल.वी.-४५, इण्डस गार्डन,  
ब्रिलंगा कॉलोनी, ई-८, शहर भोपाल (म.प्र.) ..... आवेदक /पुनरीक्षणकर्ता

### विरुद्ध

श्रीमती सरोज प्रसाद पत्नी श्री भागीरथ प्रसाद,  
आयु-वयस्क, निवासी-५०३, रेल कोच फैक्ट्री कॉलोनी,  
मिशातपुरा, भोपाल (म.प्र.) ..... अनावेदक/उत्तरदाता

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-५० म०ग्र० भू-राजस्व संहिता-१९५९

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अनावेदक/उत्तरदाता के द्वारा धारा-१२९ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-१९५९ के तहत बिना आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को सूचना दिये बगैर अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन करवाया था जिसका सीमांकन प्रकरण क्रमांक-३७/अ-१२/१७-१८ में स्वीकृत आदेश दिनांक ०३/०५/२०१८ से दुर्वित होकर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं वैद्यानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

### पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम-बाड़िया कला, प.ह.नं. ४२, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) की प्लॉट क्रमांक-३६२ जिसका क्षेत्रफल ९.१४ मीटर गुणा १५.२४ मीटर बराबर १३९.४० वर्गमीटर है, जो कि खसरा क्रमांक-१४६/२/१/१/३, १४६/२/१/१, १४६/१/१/१, १४६/१/१/३, १४६/१/२/१/१, १४६/१/२/१/३, १४६/१/२/२/१, १४६/१/२/२/३, १४६/१/२/३/१, ९६/२, १३९-१४१/२/१/१, १४४/१/१, १४४/१/२/१/१/१, १५८, १६०/५, १६१/३/१ कुल किता-१२ का अंश भाग है, जिसे आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक १५/११/२००६ के माध्यम से पूर्व भूमि स्वामी श्री रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा संचालक श्री एन.एल. रोहितास आत्मज श्री रामसिंह से किया था, जिसकी पुस्ति आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में निष्पादित विक्रय-पत्र दिनांक १५/११/२००६ से होती है।

2. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक १५/११/२००६ के माध्यम से जो प्लॉट क्रमांक-३६२ जिसका क्षेत्रफल ९.१४ मीटर गुणा १५.२४ मीटर बराबर १३९.४० वर्गमीटर है, जिसकी चतुर्थ सीमाओं में दिशा पूर्व में प्लॉट क्रमांक-३६१, दिशा पश्चिम में

स्वेच्छसिंह / साराजापुलाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4458/18/मी.पिला/भरा

(1)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
२७-३-१९	<p>आकेदा अधिकारी ने लैह-पाठन उपर व अन्य सर्व को अनुग्रह। प्रबन्धना राखी देता।</p>	<p>(+) २८/३/१९</p>
२८-३-१९	<p>आकेदा अधिकारी ने लैह-पाठन उपर व अन्य सर्व को अनुग्रह।</p>	<p>आकेदा /लाल</p>
२८/३/१९	<p>आकेदा अधिकारी ने लैह-पाठन उपर व अन्य सर्व को अनुग्रह। योग्यालय में प्रश्न प्रदर्शन के लिए वापिस किये जाने का निकेदण किया। — आकेदा अधिकारी के निकेदण पर प्रबन्धन उपर संशोधन का आवाला व प्राप्ति करायी हुई वापिस किया जाये। — प्रबन्धन दारिद्र्य निकेदण हो।</p>	<p>28/3/2019 नो प्रबन्धन तो त्यागालय संठा करो और लाल वामुत वामिन विक्री तो अनुभात लाल आवाला लाल भावना करो</p>